



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 2013/माघ 11, 1934

No. 282]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2013/MAGHA 11, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2013

सं. 30 (आरई-2012)/2009—2014

विषय : विदेश व्यापार नीति, (आरई-2012)/2009-2014 में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए निजी/सार्वजनिक रूप से संचालित गोदामों की स्थापना के लिए प्रावधानों की शुरुआत करना ।

का. आ. 304(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित, यथासंशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के भाग 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा तत्काल प्रभाव से, विदेश व्यापार नीति, 2009-14 (आरई-2012) को संशोधित करती है और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए निजी/सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित गोदामों की स्थापना के लिए एक नए पैरा 4क. 16क जोड़ती है ।

2. विदेश व्यापार नीति के पैरा 4क. 16 के बाद एक नया पैरा 4क. 16क को निम्नानुसार जोड़ा जाता है :—

निजी/सार्वजनिक रूप से संचालित गोदाम—कटे हुए और पॉलिश किए गए हीरों, कटे हुए और पॉलिश किए गए रंगीन रत्नों, बगैर कटे और सैट न किए गए कीमती और अर्द्ध-कीमती रत्नों के आयात और पुनः निर्यात हेतु एसईजैड/डीटीए में निजी/सार्वजनिक रूप से संचालित गोदाम न्यूनतम 5 प्रतिशत मूल्यवर्धन प्राप्त करने की शर्त के साथ स्थापित किए जा सकते हैं ।

3. **इस अधिसूचना का प्रभाव :** इससे, हीरे, रत्न एवं कीमती और अर्द्ध कीमती रत्नों के लिए एसईजैड/डीटीए क्षेत्र में निजी/सार्वजनिक रूप से संचालित गोदामों की स्थापना हो सकेगी ।

[विदेश व्यापार नीति में ऐसे प्रावधान पहले ही मौजूद थे, परंतु आयात शुल्क को शून्य कर दिए जाने से वापस ले लिए गए थे । इसे अब पुनः शुरू किया जा रहा है ।]

[फा. सं. 01/94/180/168-एएम 13/पीसी-4]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2013

No. 30 (RE-2012)/2009—2014

Subject : Introduction of provision for setting up of Private/Public Bonded Warehouses for Gems and Jewellery sector in FTP(RE-2012)/2009-2014.

S. O. 304(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, as amended, read with paragraph 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby amends with immediate effect Foreign Trade Policy, 2009-2014 (RE-2012) and introduces a new para 4A.16A for setting up of Private/Public Bonded Warehouses for Gems and Jewellery sector.

2. A new para 4A.16A after para 4A.16 is being added in FTP as under:

Private/Public Bonded Warehouse - Private/Public Bonded Warehouses may be set up in SEZ/DTA for import and re-export of cut and Polished diamonds, cut and polished coloured gemstones, uncut & unset precious & semi precious stones, subject to achievement of minimum VA of 5%.

3. **Effect of this amendment :** This will facilitate setting up of Private/Public Bonded Warehouses in SEZ/DTA for Diamond, Gems and precious/semi precious stones.

[Similar provision had existed in the Foreign Trade Policy earlier, but got withdrawn with the import duty being reduced to zero. It is being reintroduced now.]

[F. No. 01/94/180/168-AM 13/PC-4]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade